अध्याय 9 (मैनुअल – 8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

मुख्य विषय जिस पर वन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है विवरण निम्नानुसार है

प्रशासन शाखा:–

किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए प्रशासन शाखा द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है

अ	प्रक्रिया निम्नानुसार नियमों के अनुसार अपनाई जाती है :– छ.ग. सिविल सेवा नियम 1961 एवं छ.ग. राज्य वन सेवा भर्ती नियम 1961 के संशोधित नियम 1977, छ .ग. शासन, मूलभूत नियम के अंतर्गत नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार, भरती नियम लिपिकीय/अलिपिकीय 1967, छ .ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965, छ.ग. शासन सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, वित्तीय संहिता के अंतर्गत प्रदत्त नियमों एवं निर्देशों के अनुसार, फारेस्ट मैनुअल 1932, विभागीय जांच प्रक्रिया नियम 1966, छ . ग. शासन पेंशन नियम, छ.ग. शासन यात्रा भत्ता नियम, छ.ग. शासन सा.भ.नि. नियम, छ.ग. शासन ऋण एवं अग्रिम, छ.ग. शासन भंडार क्रसय नियम, अवकाश नियम 1975–1977, वन वित्तीय संहिता, गोपनीय चरित्रावली, वेतन निर्धारण नियम, छ.ग. कर्मचारी कल्याण योजना नियम उपरोक्त नियमों के अंतर्गत प्रदत्त निर्देशों एवं आदेशों के अनुरूप किसी विषय पर निर्ण य लेने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है।		
ब	किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम और प्रक्रिया क्या है ? प्रशासन शाखा से निम्नलिखित विषयों पर निर्णय लेकर उपरोक्तानुसार पैरा 'अ' दर्शाये गये नियमों के अंतर्गत तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की जाती है। राज्य सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियां, कर्मचारियों की नियुक्तियां, अवकाश की स्वीकृति, पेंशन प्रकरणों का निराकरण, पदोन्नति की कार्यवाही, वेतन निर्धारण, क्रमोन्नति लाभ, वरियता सूची का निर्धा रण, अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण एवंअन्य प्रशासन शाखा के संबंधित कार्यो का निराकरण		
स	लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है ? (लिये गये निर्णय को क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने एवं प्रदाय करने के लिए जनसूचना अधिकारी नामांकित है।)		
द	विभिन्न स्तर पर किन – किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है ? निर्णय लेने के लिए मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता / शिकायत), मुख्य वन संरक्षक (प्रशा . अराज.), मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज.), मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.), मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट), मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), मुख्य वन संरक्षक (परियोजना/निर्माण) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अपर प्रध ान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर से निर्णय लेने की संस्तुति प्राप्त की जाती है।		
इ	अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रधिकारी अधिकारी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन, जेल रोड रायपुर (छत्तीसगढ़)		
ई	मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।		
	वन संरक्षक	–	1 (एक)
	विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	–	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से संबंधित सूचनाएं
	दिशा निर्देश (यदि हो तो)	–	प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्रं. 316 दि. 18/08/05
	निर्णय लेने की प्रक्रिया	–	आदेश क्रमांक 316 दिनांक 18/08/2005 में उल्लेखित है।
	निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	–	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर, मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता / शिकायत) एवं वन संरक्षक (समन्वय)

निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना –	पदनाम	कार्यालय का नाम	दूरभाष	फैक्स	ई – मेल
	वन संरक्षक (समन्वय)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर	2552218	2885026	cf_coord@sify.com
	मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता / शिकायत)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर	2886412	–	ccf_vig@rediffmail.com
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर	2552221	2552210	cgpccf@sify.com

निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें –	अपील मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता / शिकायत) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर के कार्यालय में की जा सकती है।

कार्य आयोजना शाखा :–

1. किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये क्या प्रकिया अपनाई जाती है ?
   शासन के द्वारा निर्धारित नियमों (सरकुलर्स) के अनुसार निर्णय हेतु प्रकिया अपनाई जाती है ।
2. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम और प्रकिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किन–किन स्तरों पर विचार किया जाता है ?
   कार्य आयोजना निर्माण संबंधी विषय पर निर्णय हेतु मुख्य वनसंरक्षक कार्य आयोजना छ0ग0 के द्वारा निर्गमित नियमों, नेशनल वर्किंग प्लान कोड में दिये गये नियमों एवं कार्य आयोजना संहिता में दिये गये नियमों तथा पूर्व में मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्गमित नियमों के निर्देशानुसार किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार निर्णय लेने हेतु प्रारंभ में वनमंडलाधिकारी, फिर वनसंरक्षक के स्तर के पश्चात मुख्य वनसंरक्षक स्तर पर पश्चात राज्य शासन के स्तर पर तथा अंत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन के स्तर पर निर्णय लिया जाता है ।

संरक्षण शाखा :–

वन अपराध प्रकरणों की जांच का कार्य वन क्षेत्र्पाल द्वारा किया जाता है । राजीनामा देने पर प्रकरण के प्रशमन हेतु कार्यवाही उपवनमंडलाधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती है। राजीनामा न देने की दशा में प्रकरण को सक्षम न्यायालय में ले जाया जाता है ।

आरोपी द्वारा राजीनामा देने की दशा में मावजा एवं महसूल की राशि का निर्धारण उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है । पूर्ण महसूल एवं मावजा की राशि वसूली होने पर प्रकरण को समाप्त (प्रशमन) कर दिया जाता है।

अवैध कटाई से संबंधित लधु वन अपराधों हेतु वनमंडलाधिकारी अंतिम निर्णय लेने हेतु सक्षम है ।

मुख्य विषय जिस पर वन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण

क्रम संख्या

विषय जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है	वन अपराध में लिप्त वाहनों के राजसात की प्रक्रिया
दिशा–निर्देश (यदि कोई हो तो)	भारतीय वन अधिनियम संशोधन अधिनियम, 1983 की धारा 52(1) और म0प्र0 वनोपज (व्यापार विनियम) संशोधन अधिनियम, 1986 की धारा 15(2) में वन अपराध में उपयोग में लाए गए औजार, वह वाहन जप्त तथा राजसात करने के संबंध में ।
निर्णय लेने की प्रक्रिया	वन अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा जप्त किया जा सकता है ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	उपवनमंडलाधिकारी अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	संबधित क्षेत्रीय उपवनमंडलाधिकारी अपराध घटित होने के 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायाधीश को निर्धारित प्रपत्र में लिखित सूचना देता है ।
निर्णय के विरूद्ध कहॉं और कैसे अपील करें ।	आरोपी द्वारा संबंधित वन संरक्षक को उपवनमंडलाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील करने का कानूनी अधिकार है । स्वविवेक से भी संबंधित वन संरक्षक प्रकरण को समीक्षा हेतु आमंत्रि कर सकते है। वन संरक्षक द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध आरोपी जिला न्यायालय में जाने की अधिकारिता का पात्र है । सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु मध्यप्रदेश शासन ने पत्र क्रमांक सम/सुरक्षा/1211 दिनांक 22/6/87 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है ।

भू–सर्वे शाखा :–

– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में नोडल अधिकारी द्वारा समस्त प्रकरण परीक्षण उपरांत राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार को भेजे जाते हैं, निर्णय राज्य शासन/भारत सरकार द्वारा लिया जाता है।

➢ किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम और प्रक्रिया क्या हैं ? अथवा निर्णय लेने के लिये किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है। ?

– वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन अधिनियम के अंतर्गत विशेष प्रकरणों में निर्णय छ.ग./भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

➢ लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था है ?

– जन संपर्क/प्रचार–प्रसार

➢ विभिन्न स्तर पर किन–किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ?

– भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में वनमंडलाधिकारी/वन संरक्षक/नोडल अधिकारी/राज्य शासन वन विभाग के अधिकारी की संस्तुति लेने के लिये प्राप्त की जाती है।

➢ अंतिम निर्णय लेने के प्राधिकारित अधिकारी।

– राज्य शासन एवं भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय।

➢ मुख्य विषय जिस पर वन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	एक
विषय (जिसके, संबंध में निर्णय लिया जाना है)	भूमि प्रत्यावर्तन/पूर्वेक्षण प्रस्ताव (खनिज/ सिंचाई/ विद्युत/रेल आदि परियोजना हेतु)
दिशा–निर्देश (यदि हो तो)	वन संरक्षण अधिनियम 1980
निर्णय लेने की प्रक्रिया	प्रस्ताव परीक्षण उपरांत स्वीकृति हेतु राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जाता है। प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने पर अंतिम स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। भारत शासन द्वारा कुछ प्रकरणों में 1 हे. वनभूमि व्यपवर्तन के अधिकार राज्य शासन को दिये हैं।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	वनमंडलाधिकारी/ वन संरक्षक/मु.व.सं (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी/राज्य शासन वन विभाग के अधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	संबंधित कार्यालय

संयुक्त वन प्रबंध शाखा :—

क्र सं.	01
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	किसी व्यक्ति की समिति सदस्यता समाप्त करने संबंधी निर्णय एवं वनाधिकारी द्वारा समिति भंग करने का निर्णय
दिशा निर्देश	शासकीय संकल्प अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	शासकीय संकल्प अनुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	समिति आमसभा एवं वनमंडलाधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	वनमंडल स्तर के मैनुअल से प्राप्त किया जा सकता है ।
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें	संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं संबंधित वन संरक्षक से (विस्तृत प्रक्रिया वनमंडल स्तर की मैनुअल से प्राप्त किया जा सकता है ।)

उत्पादन शाखा :—

- कूपों के विदोहन संबंधी निर्णय :— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गोदावर्मन प्रकरण में दिये गये निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा राज्य में प्रचलित एव ंकेन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजनाओं के अनुसार वार्षिक काष्ठ एवं बांस कूपों में पातन का प्रस्ताव केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। केन्द्र शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुसार कूपों में विदोहन की कार्यवाही की जाती है।
- काष्ठ एवं बांस परिवहन के लिये आमंत्रित परिवहन निविदाओं के संबंध में निर्णय :— राष्ट्रीयकृत वन उपज अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 05/05/1998 विषय क्रमांक—6 में लिये गये निर्णय के अनुसार परिवहन ठेकों की स्वीकृति हेतु विभिन्न अधिकारियों को निम्नानुसार वित्तीय अधिकार एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये गये हैं :—

वन अधिकारी का पद	संशोधित वित्तीय अधिकार
वनमंडलाधिकारी	5 लाख रुपये तक
वन संरक्षक	10 लाख रुपये तक
मुख्य वन संरक्षक	समस्त अधिकार

प्रशासनिक अधिकार संबंधी निर्णय :—

(क) वन मंडलाधिकारी की वित्तीय क्षमता के अंतर्गत :—

निविदा चक्र	आधार मूल्य से अधिक मूल्य हेतु स्वीकृत करने का अधिकार	
	वनमंडलाधिकारी	वन संरक्षक
प्रथम चक्र	—	10 प्रतिशत
द्वितीय चक्र	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत
तृतीय चक्र	20 प्रतिशत	समस्त अधिकार

(ख) वन संरक्षक की वित्तीय क्षमता के अंतर्गत :–

प्रथम चक्र	–
द्वितीय चक्र	10 प्रतिशत
तृतीय चक्र	30 प्रतिशत

तृतीय चक्र के पश्चात समस्त अधिकार मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को होंगे।

- काष्ठ/ बांस/ जलाऊ के नीलाम/ निविदा द्वारा निर्वर्तन के संबंध में निर्णय :– काष्ठ एवं व्यापारिक बांस का निर्वर्तन काष्ठागारों/ बांसागारों में नीलाम द्वारा किया जाता है। इसके लिये मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) राज्य के समस्त काष्ठगारों / बांसागारों में वर्ष भर के लिये नीलाम की तिथियां निर्धारित करते हैं। नीलाम में विभिन्न प्रजातियों की काष्ठ के लिये प्राप्त दरों की स्वीकृति हेतु वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी की शक्तियां निम्नानुसार हैं :–

नीलाम संख्या	वनमंडलाधिकारी	वन संरक्षक
प्रथम	कोई अधिकार नहीं	कोई अधिकार नहीं
द्वितीय	कोई अधिकार नहीं	अवरोध मूल्य से अधिकतम
तृतीय	अवरोध मूल्य से अधिकतम 10% कम तक	अवरोध मूल्य से 20% कम तक
चतुर्थ एवं पश्चातवर्ती	अवरोध मूल्य से अधिकतम 10% 14 तक	पूर्ण अधिकार

सागौन, साल एवं शीशम को छोड़कर अन्य समस्त प्रजातियों के लट्ठे समस्त प्रजातियों की बल्लियां, जलाऊ, व्यापारिक तथा औद्योगिक बांस के नीलाम द्वारा निर्वर्तन हेतु :–

नीलाम संख्या	वनमंडलाधिकारी	वन संरक्षक
प्रथम	कोई अधिकार नहीं	अवरोध मूल्य से अधिकतम 10% कम तक
द्वितीय	अवरोध मूल्य से अधिकतम 10% कम तक	अवरोध मूल्य से 20% कम तक
तृतीय एवं पश्चातवर्ती	अवरोध मूल्य से 20% कम तक	पूर्ण अधिकार

वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 31/12/2004 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रथम नीलाम में अविक्रित ईमारती काष्ठ के लॉट्स को द्वितीय नीलाम के 7 दिन पूर्व तक अवरोध मूल्य या इससे अधिक पर किसी भी इच्छुक व्यापारी आरा मिल मालिक, अन्य ठेकेदार या उपभोक्ता द्वारा सीधे क्रय करने का लिखित ऑफर प्राप्त होने तथा काष्ठ का समस्त विक्रय मूल्य समस्त करों के साथ संबंधित वनमंडलाधिकारी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किये जाने पर प्रथम आवें प्रथम पावें के सिद्धांत पर प्रचय की बिक्री की स्वीकृति वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

- शासकीय हानि की दशा में अपलेखन की कार्यवाही के संबंध में वित्तीय क्षमताएं :— काष्ठ/ बांस एवं जलाऊ लकड़ी की हानि कूपों में या काष्ठागार में होने की दशा में उनके अपलेखन के आदेश जारी करने के अधिकार मध्य प्रदेश बुक ऑफ फाईनेन्शियल पॉवर्स 1995 भाग — 1 तथा भाग — 2 के अनुसार निम्नानुसार प्रयोजित किये गये हैं :—

1. प्रशासकीय विभाग	रु. 2.00 लाख
2. विभागाध्यक्ष (मु.व.सं.)	रु. 50,000.00 हजार तक
3. वन संरक्षक,	रु. 5, 000.00 हजार तक
4. संभागीय वनमंडलाधिकारी	रु. 2,000.00 हजार तक

- अलाभकारी एवं कार्य अयोग्य कूपों का अपलेखन :— कार्यवाही वन संरक्षक स्तर पर की जाती है।

- विदोहन कार्य से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु संपादित कार्यवाहियां एवं क्षमताएं :— राज्य स्तर पर बांस को बांधने के लिये सबई रस्सी का क्रय निविदा आमंत्रित कर किया जाता है। निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों की स्वीकृति राजकीय वनोपज व्यापार अंतर्विभागीय समिति से प्राप्त कर क्रय की कार्यवाही की जाती है। सामग्री प्रदाय हेतु अनुबंध सफल निविदाकार एवं वन संरक्षक के मध्य किया जाता है।

  वनमंडल स्तर पर आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय की कार्यवाही राज्य शासन के क्रय नियमों एवं वित्तीय क्षमता के अनुसार वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

- मालिक मकबूजा के प्रकरणों में निर्णय :— कार्यवाही वनमंडल स्तर पर होती है।

सतर्कता / शिकायत शाखा :—

राजपत्रित / अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं विभागीय जांच का निर्णय निम्नलिखित नियम एवं मैनुअल के अनुसार किया जाता है।

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण एवं अपील नियम 1965
2. विभागीय जांच प्रक्रिया नियम 1966
3. मूलभूत नियम
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965
5. अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासनिक एवं अपील) नियम 1969